

23

अभिलेख उपस्थापित।

सचि आनन्द पिता भगवान चौधरी पति अमित कुमार चौधरी, निवास स्थान ग्राम-सुरेश कॉलोनी, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटबागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-लाखे, थाना नं०-155, खाता संख्या-04 प्लॉट संख्या-1001 रकवा 0.03 एकड़ एवं खाता संख्या-14 प्लॉट संख्या-1004 रकवा-0.0390 एकड़ कुल रकवा 0.0690 एकड़ (6.90 डिसिमिल) (छः दशमलव नौ शून्य डिसिमिल) भूमि कुमारी गेशुलता पति संजय रविदास, निवास स्थान ग्राम-देवकुली, पोस्ट-देवकुली, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-647/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3410/रा० दिनांक 08.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 604 दिनांक 27.03.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक रलीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खाता संख्या-04 के खतियानी रैयत अब्दुल रसीद एवं खाता संख्या-14 के खतियानी रैयत योगल दरजी हैं। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 6.90 डी० भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-43/IV पर सचि आनन्द के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। आवेदिका स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। पूर्ण भूमि आवेदिका की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 20 डी० भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिसूचना क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा B.L.R Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश  
कार्रवाई  
टिप्पणी त

2

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सवि आनन्द पिता भगवान चौधरी पति अमित कुमार चौधरी, निवास स्थान ग्राम-सुरेश कॉलोनी, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-लाखे, थाना नं०-155, खाता संख्या-04 प्लॉट संख्या-1001 रकबा 0.03 एकड़ एवं खाता संख्या-14 प्लॉट संख्या-1004 रकबा-0.0390 एकड़ कुल रकबा 0.0690 एकड़ (6.90 डिसमिल) (छः दशमलव नौ शून्य डिसमिल) भूमि कुमारी गेशुलता पति संजय रविदास, निवास स्थान ग्राम-देवकुली, पोस्ट-देवकुली, थाना-ईवाक, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग

अपर समाहर्ता, हजारीबाग